न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 174/2022 प्रार्थना पत्र

अनवान प्रकरण

गोपाल पिता भैरूलाल जाट निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा —प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र बाबत—इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 रा0भू रा0अ0)

दिनांक 27.06.2022

उपस्थितः— प्रार्थी —स्वयं ।

आदेश

1—प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम , 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अप्रार्थी तहसीलदार मांडल के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांडल पटवार मंडल मांडल तहसील मांडल में आराजी संख्या 3350/9 रकबा 06 बीघा व आ0नं0 3384 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ प्रार्थी के पिता भैरू पिता कालू जाट के नाम संयुक्त खातेदारी से वर्तमान रेकॉर्ड में दर्ज है।

2—यहकि आराजी संख्या 3350 का कुल रकबा 92 बीघा 07 बिस्वा था तथा तत्कालीन खातेदारों के द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 19.12.2004 को विभाजन किया जिसका बटवाड़ा प्रस्ताव नक्शा प्रमाणित साथ संलग्न है।

3—यहकि आराजी नम्बर 3350 का विभाजन के पश्चात सभी खातेदारों के नाम पर अलग—अलग बटा नम्बर से रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। विभाजन के समय इसी आराजी में से सभी खातेदारों ने सहमति से आराजीयात में आने जाने के लिए शामलाती रास्ता रखा जो कि मुख्य रास्ते से होकर आराजी नम्बर 3350/9 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे होते हुए आराजी नम्बर 3350/1 की पश्चिमी भुजा तक दर्शाया गया था। प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 3384 में आने जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

4—यहकि उक्त विभाजन के पश्चात पटवारी हल्का ने त्रुटीवश उक्त रास्ते को 3350/2 की सीमा तक ही नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया जबकि यह रास्ता 3350/1 तक होकर वर्तमान में भी चालू है तथा विभाजन प्रस्ताव में भी इसी प्रकार दर्शाया गया।

5—अतःनिवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मांडल की आराजी नम्बर 3350 के हुए विभाजन अनुसार छोडे गए रास्ते को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 3350/1 तक तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

6—इस कार्यालय के पत्रांक/न्यायालय/रीडर/2021/71 दिनांक 21.12.2021 से प्रार्थना पत्र तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए रिपोर्ट प्राप्त की गई। इस पर तहसीलदार मांडल ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/309 दिनांक 19.05.2022 से रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मांडल की आराजी नम्बर 3350 की तरमीम आराजी नं0 3350/9 से लेकर 3350/2 की अंतिम मेड़ तक लट्ठा नक्शा में है। जबकि आराजी नम्बर 3350/1 की अंतिम मेड़ तक बंटवाड़े की राजप्रत नक्शे में तरमीम है तथा नामान्तरकरण पर चस्पा नक्शे में काट रखी है। लट्ठा नक्शे में तरमीम नहीं है। आराजी नम्बर 3350/1 में तरमीम किया जाना उचित बताया।

7—यहकि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आपसी सहमति से तहसीलदार मांडल के समक्ष दिनांक 20.12.2004 को किए गए बटवाड़ानामा, इसी के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2923 दिनांक 08.05.2004 व तहसील मांडल के आपसी सहमती से बटवाड़ा के प्रकरण संख्या 15/04 निर्णय दिनांक 20.12.2004 से जारी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित फोटो प्रतियां व नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की गई।

8—यहकि आ0नं0 3350 में से रास्ते हेतु जो रकबा छोडा गया वह 1 बीघा 10 बिस्वा था जो आपसी सहमति से हुए बटवाड़ानामा के साथ संलग्न सूची एवं उक्त बटवाड़े के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2923 में भी अंकित होना प्रतीत होंता है। साथ में सलग्न नक्शे में भी आराजी नम्बर 3350 के विभाजन होने पर आने जाने के लिए इस आराजी में से छोडे गए रास्ते की आराजी नम्बर 3350/16 आराजी नम्बर 3350/1 की अन्तिम मेड़ तक दर्ज है। जबकि नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 3350/1 के पश्चिम में उक्त रास्ते को अंकित नहीं किया गया है अर्थात आराजी नम्बर 3350/2 तक उक्त रास्ता दर्ज है।

9—यहकि तहसीलदार मांडल के पत्रांक/राजस्व/2022/1762 दिनांक 04.01.2022 से प्राप्त रिपोर्ट में बिन्दु सं0 2 में यह स्पष्ट किया है कि आराजी नम्बर 3350 का नक्शे अनुसार 3350/9 से 3350/2 की अंतिम मेड़ तक का रकबा 1.08 बीघा तथा 3350/1 की अंतिम मेड़ तक बढाने पर कुल रकबा 1.10 बीघा होगा। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ग्राम मांडल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 में आ0नं0 3350 का रकबा 0.3794 हैक्टर किस्म बंजड़ दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी नम्बर 3350 का कुल रकबा 1.10 बीघा यानि 0.3794 हैक्टर बनता है तथा नक्शा ट्रेस में आ0नं0 3350/9 से लगायत 3350/2 तक दर्ज रास्ते का रकबा 1.08 बीघा यानि 0.3541 ही होता है। जबकि आराजी नम्बर 3350 के सहखातेदारों के द्वारा छोडे गए रास्ते का रकबा एवं विभाजन के आधार पर तैयार किए गए नक्शे में आराजी नम्बर 3350/9 से 3350/1 का रकबा 1.10 बीघा यानि 0.3794 हैक्टर बनता है इस प्रकार रास्ते का 0.02बीघा यानि 0.0253 हैक्टर भूमि कम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित है। अतएव—

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 को स्वीकार किया जाकर ग्राम मांडल की आराजी नम्बर 3350/1 की पश्चिमी मेड़ पर अंत तक तहसीलदार मांडल के आपसी सहमती से बटवाड़ा के प्रकरण संख्या 15/04 निर्णय दिनांक 20.12.2004 से जारी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर आपको भिजवाते हुए आदेशित किया जाता है कि संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

आदेश तैयार करा सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा